अनुदान संख्या 31 - विदेश मंत्रालय
GRANT No. 31 – MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*		*3,00*	*..*	*-3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*2,85*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	7623,94,00	8288,95,00	7977,89,55	-311,05,45
पूरक	Supplementary	665,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				365,02,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	2038,00,00	2403,01,00	2142,79,96	-260,21,04
पूरक	Supplementary	365,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				265,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹3.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹31105.45 लाख) दिसंबर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹66501.00 लाख के पूरक अनुदानों का 47 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (₹36502.00 लाख) कुल बचतों से अधिक हो गई।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹3.00 lakhs* remained wholly unutilised under three heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹31105.45 lakhs) constituted 47 percent of the supplementary grants of ₹66501.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013 and 4 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹36502.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	22756.00	24487.00	24834.33	+347.33
पु.	R.	1731.00			
मुख्य शीर्ष "2061" विदेश मामले	Major Head "2061" External Affairs				
मू.	O.	398316.00	404513.00	408656.81	+4143.81
पू.	S.	1501.00			
पु.	R.	4696.00			
मुख्य शीर्ष "3605" अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Major Head "3605" Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	341321.00	363393.00	364298.41	+905.41
पू.	S.	65000.00			
पु.	R.	– 42928.00			

(I) ₹26.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹26.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग - भूटान को सहायता" के अंतर्गत ₹120000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹40000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹160000.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो चालू हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹2702.29 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "3605" – "Co-operation with Other Countries – Aid to Bhutan" –the original provision of ₹120000.00 lakhs was augmented to ₹160000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹40000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2702.29 lakhs - due to requirement of less funds towards ongoing hydroelectric power projects.

(III) मुख्य शीर्ष "2061" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "प्रशिक्षण - विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान" - ₹211.28 लाख की बचत (₹853.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी राजनयिकों के लिए पेशेवर पाठ्यक्रम और सुविधा प्रबंधन सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "विशेष राजनयिक व्यय - विवेकाधीन व्यय" - ₹9961.36 लाख की बचत (₹127000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विवेकाधीन प्रकृति के होने की वजह से कार्यात्मक आवश्यकता व्यय के कारण हुई।

(गा) "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें - अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ बैठकें" - ₹168.06 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम योजनागत क्रियाकलापों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(घा) "पासपोर्ट और उत्प्रवास - केंद्रीय पासपोर्ट संगठन" - ₹2466.43 लाख की बचत (₹55972.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पासपोर्ट मुद्रण संबंधी कम दावे प्राप्त होने और केंद्रीय पासपोर्ट संगठन की सूचना प्रौद्योगिकी और कुछ पासपोर्ट कार्यालयों को सरकारी भवनों से किराए के भवनों में किराए पर स्थानांतरित किए जाने के कारण हुई।

(ड) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" -

(क) "राष्ट्रमंडल" - ₹187.31 लाख की बचत (₹940.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रमंडल सचिवालय कार्यालय को अंशदान के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2061" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Training – Foreign Service Training Institute" – saving of ₹211.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹853.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Professional Course for Foreign Diplomats and facility management services.

(B) "Special Diplomatic Expenditure-Discretionary Expenditure" – saving of ₹9961.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹127000.00 lakhs) was due to functional requirements, expenses being discretionary in nature.

(C) "International Conference/Meetings – International Conferences/Meetings" – saving of ₹168.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to holding of less planned activities.

(D) "Passport and Emigration - Central Passport Organisation" - saving of ₹2466.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹55972.00 lakhs) was due to receipts of less claims towards passport printing and Information Technology of Central Passport Organization and shifting of some passport offices to Government buildings from rented buildings.

(E) "International Co-operation"-

(a) "Commonwealth" - saving of ₹187.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹940.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards contributions to Commonwealth Secretariat Office.

(ख) "अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन" - ₹156.86 लाख की बचत (₹2293.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यांत्रिकी के अभाव में विकास और मानवीय सहायता के लिए निधियों का परिचालन न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Other International Organisations"- saving of ₹156.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2293.00 lakhs) was due to non-operationalisation of Fund for Development and Humanitarian Assistance owing to absence of mechanism.

(ग) "संयुक्त राष्ट्र संगठन" - ₹184.31 लाख की बचत (₹15280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत मास्टर प्लान के लिए अंशदान जारी न किए जाने के कारण हुई।

(c) "United Nations Organisation" – saving of ₹184.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15280.00 lakhs) was due to non-release of contribution towards Capital Master Plan.

(घ) "नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय" - ₹349.40 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चार दिवारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(d) "Nalanda International University" – saving of ₹349.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards construction of boundary wall and availability of unspent balance of the previous year.

(चा) "अन्य व्यय" -

(F) "Other Expenditure" -

(क) "सीमाओं का सीमांकन" - ₹182.37 लाख की बचत (₹370.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) असम सेक्टर में कम निधियों की आवश्यकता होने और फील्ड सर्वेक्षण के आरंभ होने में विलंब होने के कारण हुई।

(a) "Demarcation of Boundaries" – saving of ₹182.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹370.00 lakhs) was due to requirement of less funds in Assam Sector and delay in commencement of field survey.

(ख) "अन्य स्कीमें" - ₹335.00 लाख की बचत (₹425.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ओडीए समिति के गठन में विलंब होने और किफायती उपायों की वजह से योजनागत क्रियाकलापों की संख्या में कमी होने के कारण हुई।

(b) "Other Schemes" – saving of ₹335.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹425.00 lakhs) was due to delay in constitution of the OD'A Committee and reduction in the number of planned activities owing to economy measures.

(ग) "विशेष प्रतिनिधिमंडल" - ₹609.83 लाख की बचत (₹1730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने और संयुक्त राष्ट्र आम सभा प्रतिनिधिमंडल में कम लोग होने के कारण हुई।

(घ) "हज पर व्यय" - ₹559.99 लाख की बचत (₹960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हज सद्भावना प्रतिनिधिमंडल में कम सदस्य होने के कारण हुई।

(ङ) "संस्थाओं को अनुदान" - ₹1466.01 लाख की बचत (₹3455.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यकलापों की धीमी प्रगति और वर्ष 2013 की पहली तिमाही के दौरान प्रतिकूल मौसम परिस्थिति की वजह से पेरिस में मैशन डीएलइंडी परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "श्रीलंका - अन्य सहायता कार्यक्रम" - ₹4180.39 लाख की बचत (₹29000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जाफना संस्कृति परामर्शी केंद्र को अंतिम रूप न दिए जाने और तीरुकेतीश्वरम मंदिर के लिए त्रिपक्षीय समझौते में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "मालदीव को सहायता" - ₹1957.30 लाख की बचत (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल, माले के नवीकरण की निविदा को अंतिम रूप दिए जाने और मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना में विलंब होने के कारण हुई।

(गा) "म्यांमार को सहायता" - ₹18032.63 लाख की बचत (₹30221.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिहि टिडिम सड़क परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब

(c) "Special Delegations"- saving of ₹609.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1730.00 lakhs) was due to less number of visits undertaken and smaller size of United Nations General Assembly (UNGA) Delegation.

(d) "Expenditure on Haj"- saving of ₹559.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹960.00 lakhs) was due to less number of members in the Haj Goodwill Delegation.

(e) "Grants to Institutions" – saving of ₹1466.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3455.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Maison de l'Inde (MDL) project in Paris owing to slow progress of construction activity and inclement weather condition during first quarter of 2013.

(IV) Under Major Head "3605" – "Co-operation with Other Countries" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Sri Lanka - Other Aid Programmes"- saving of ₹4180.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29000.00 lakhs) was due to non-finalization of Jaffna Culture Centre consultancy and delay in tripartite agreement for Thiruketheeswaram Temple.

(B) "Aid to Maldives"- saving of ₹1957.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs) was due to delay in finalization of tender for renovation of the Indira Gandhi Memorial Hospital, Male and setting up of National Police Academy owing to political instability in Maldives.

(C) "Aid to Myanmar" - saving of ₹18032.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30221.00 lakhs) was due to delay in finalization

होने और म्यांमार सरकार द्वारा स्थान को सौंपने में विलंब होने की वजह से कालादान परियोजना पर कार्य की धीमी प्रगति होने और त्रिभुज राजमार्ग परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति न किए जाने और भारतीय आंतर स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा दावे प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(घा) "अन्य विकासशील देशों को सहायता" - ₹605.36 लाख की बचत (₹3700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आतिथ्य सरकार और पर्यटन अध्ययन संकाय, माले से संबंधित दावे प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

(ङ) "आपदा राहत के लिए सहायता" - ₹296.01 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा अफ्रीका के होर्न को राहत संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(चा) "सार्क कार्यक्रम" - ₹1254.65 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जलवायु परिवर्तन के लिए भारत अक्षय निधि के लिए सदस्य देशों से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(छा) "अफ्रीकी देशों को सहायता" - ₹1036.47 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्याप्त स्थानीय परिस्थितियों की वजह से पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना के कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(जा) "मंगोलिया को सहायता अनुदान" - ₹125.21 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया पूरी होने में विलंब होने की वजह से राजीव गांधी कला एवं निर्माण विद्यालय उन्नयन परियोजना शुरू होने में विलंब होने के कारण हुई।

(झा) "अफगानिस्तान को सहायता" - ₹21604.27 लाख की बचत (₹70700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गेहूँ परियोजना की आपूर्ति में पुन: निविदा किए जाने तथा

of Rhi Tiddim Road project, slow pace of work on the Kaladan Project owing to delay in handing over the site by the Government of Myanmar, non-appointment of consultants for preparation of detailed project report for the Trilateral Highway Project and non submission of claims by Inland Waterways Authority of India (IWAI).

(D) "Aid to Other Developing Countries" – saving of ₹605.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3700.00 lakhs) was due to delay in receipt of claims relating to Faculty of Hospitality and Tourism Studies, Male.

(E) "Aid for Disaster Relief"-saving of ₹296.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-approval of proposal for relief to Horn of Africa by the Ministry of Finance.

(F) "SAARC Programme"- saving of ₹1254.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to non materialisation of proposals from member countries towards India-Endowment for Climate Change.

(G) "Aid to African Countries"- saving of ₹1036.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to slow pace of work of the Pan African e-Network project owing to prevailing local conditions.

(H) "Grants-in-aid to Mongolia"- saving of ₹125.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to delay in commencement of the Rajiv Gandhi Art & Production School upgradation project owing to delay in completing tendering process.

(I) "Aid to Afghanistan" - saving of ₹21604.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70700.00 lakhs) was due to retendering involved

दोसी और चारीकर विद्युत उप-कैंद्र परियोजना को गतिशील बनाने में सलमा बांध परियोजना के लिए नियामक अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

in the supply of Wheat project and delay in regulatory approval for Salma Dam project in mobilization of the Doshi and Charikar Electrical sub-station project.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹60.56 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 68 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹60.56 lakhs occurred constituting 68 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹14319.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2061" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1501.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

3.(I) The above savings were partly (₹14319.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1501.00 lakhs under Major Head "2061" – under the following heads:-

(का) "दूतावास और मिशन - प्रबंधन और स्थापना" - ₹9242.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹16835.31 लाख था।

(A) "Embassies and Missions - Management and Establishment" – ₹9242.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹16835.31 lakhs.

(खा) "अन्य व्यय" -

(B) "Other Expenditure" –

(क) "वीवीआईपी यात्रा के लिए एयर इंडिया के वायुयानों की रख-रखाव लागत" - ₹4347.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4345.18 लाख था।

(a) "Maintenance cost of Aircrafts of Air India for VVIP travel"- ₹4347.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4345.18 lakhs.

(ख) "भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद" - ₹730.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹729.00 लाख था।

(b) "Indian Council of Cultural Relations" – ₹730.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹729.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - विदेश मंत्रालय" - ₹2079.33 लाख का अधिक व्यय (₹22755.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि, कार्मिकों के स्थानांतरण/दौरे व्यय, कंप्यूटरों की खरीद, विज्ञापन और प्रचार संबंधी लंबित बिलों का समाशोधन किए जाने और जवाहरलाल नेहरू भवन और विदेश सचिव के आवास के बिजली और पानी के प्रभारों में वृद्धि किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of External Affairs" – excess of ₹2079.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22755.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards one additional increment as per Department of Personnel & Training order, transfer/tour expenses of officials, purchase of Computers, clearance of pending bills towards

की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2061" -

(क) "मनोरंजन प्रभार - गणमान्यों का मनोरंजन" - ₹638.72 लाख का अधिक व्यय (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आने वाले प्रतिनिधिमंडलों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय" - ₹3221.21 लाख का अधिक व्यय (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अकबर भवन के किराए के लिए और दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय के परिचालन अंशदानों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग" -

(क) "कोलंबो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता" - ₹254.01 लाख का अधिक व्यय (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रक्षा प्रशिक्षण स्लॉटों की संख्या में वृद्धि होने और लंबित बिलों का समाशोधन किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "बंगलादेश को सहायता" - ₹120.34 लाख का अधिक व्यय (₹25000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹28000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण हुआ।

(ग) "नेपाल को सहायता" - ₹2255.49 लाख का अधिक व्यय (₹27000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

advertising and publicity and enhancement of electricity and water charges of Jawaharlal Nehru Bhawan and Foreign Secretary's residence.

(B) Major Head "2061" –

(a) "Entertainment Charges - Entertainment of Dignitaries"- excess of ₹638.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs) was due to increase in number of incoming delegations.

(b) "International Co-operation - South Asian University"- excess of ₹3221.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards rent of Akbar Bhawan and Operational Contributions to South Asian University.

(C) Major Head "3605" – "Co-operation with Other Countries" –

(a) "Technical Aid to South and South East Asia under the Colombo Plan"- excess of ₹254.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to increased number of defence training slots and clearance of pending bills.

(b) "Aid to Bangladesh" – excess of ₹120.34 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹28000.00 including supplementary grant ₹25000.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(c) "Aid to Nepal" – excess of ₹2255.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards educational courses.

(घ) "आईटीईसी कार्यक्रम" - ₹2108.05 लाख का अधिक व्यय (₹12000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ङ) "एससीएएपी कार्यक्रम" - ₹2057.65 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम/अफ्रीका कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त स्लाटों और लंबित दावों का समाशोधन करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(च) "बहुपक्षीय आर्थिक संबंध" - ₹1326.56 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय सागर रिम संघ क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन और भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका न्यास निधि अंशदान से संबंधित लंबित बिलों का निपटान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण हुआ।

(छ) "निवेश संवर्धन और प्रचार" - ₹124.49 लाख का अधिक व्यय (₹411.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी गारंटी के अनुसार एक्सिस बैंक को ब्याज समकरण सहायता के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ज) "यूरेशियन देशों को सहायता" - ₹265.73 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तजाक्सितान में वारजाव I विद्युत परियोजना और विभिन्न अन्य परियोजनाओं के लंबित बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(d) "ITEC Programme" – excess of ₹2108.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs); and

(e) "SCAAP Programme"- excess of ₹2057.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards additional slots under Indian Technical and Economic Co-operation Programme/Special Commonwealth Assistance for Africa Programme and clearance of pending claims.

(f) "Multilateral Economic Relation"- excess of ₹1326.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills pertaining to Indian Ocean Rim Association for Regional Co-operation conference and for India Brazil South Africa Trust Fund contribution and exchange rate variation.

(g) "Investment Promotion and Publicity"- excess of ₹124.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹411.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Interest Equalization Support to Exim Bank as per Government Guarantee.

(h) "Aid to Eurasian Countries" – excess of ₹265.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills for Varzob I Power Project in Tajikistan and various other projects.

(झ) "लैटिन अमरीकी देशों को सहायता" - ₹1260.50 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र फॅरा में प्रतिबद्ध के अनुसार हेती सरकार को आवास परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(i) "Aid to Latin American Countries" – excess of ₹1260.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards housing project to Govt. of Haiti as committed in the UN fora.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹26021.04 लाख) दिसंबर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹36501.00 लाख के पूरक अनुदानों का 71 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (₹26500.00 लाख) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹26021.04 lakhs) constituted 71 percent of the supplementary grants of ₹36501.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013 and 11 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹26500.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	27500.00	20001.00	20351.12	+350.12
पु.	R.	-7499.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	7500.00	10000.00	10128.84	+128.84
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	2499.00			
मुख्य शीर्ष "7605" विदेशी सरकारों को अग्रिम	Major Head "7605" Advances to Foreign Governments				
मू.	O.	168800.00	183800.00	183800.00	..
पू.	S.	36500.00			
पु.	R.	- 21500.00			

(I) ₹25000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "7605" - "मालदीव सरकार को कर्ज - नया क्रेडिट" के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों की वजह से निधियों का संवितरण न किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹25000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "7605" – "Loans to Government of Maldives – New Credit" - due to non-disbursement of funds owing to political developments.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन - निर्माण - विदेश मामले" के अंतर्गत ₹7148.88 लाख की बचत (₹27500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ देशों में संपतियों की खरीद संबंधी प्रस्तावों का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059"- "Other Buildings - Construction – External Affairs"- saving of ₹7148.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27500.00 lakhs) was due to non materilisation of proposals for purchase of properties in some countries.

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5999.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹36501.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

5. The above savings were partly (₹5999.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹36501.00 lakhs under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - अन्य आवास - विदेशी मामले" - ₹2499.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2627.84 लाख था।

(I) Major Head "4216"- "Government Residential Buildings – Other Housing – External Affairs" – ₹2499.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2627.84 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "7605" - "भूटान की सरकार को कर्ज - अन्य परियोजनाएं" - ₹3500.00 लाख।

(II) Major Head "7605" – "Loans to Government of Bhutan - Other Projects" – ₹3500.00 lakhs.